पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए उत्तर प्रदेश में बनेगी समयबद्ध ऋण कार्ययोजना

नाबार्ड के सहयोग से आयोजित राज्य ग्रामीण विकास सम्मेलन में 'विकसित उत्तर प्रदेश 2047' के लक्ष्य पर विशेष जोर

प्रदेश के सभी 75 जिलों में ऋण प्रवाह बढ़ाने, कृषि आधारित उद्योगों और महिला एवं युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने पर मंथन

बुंदेलखंड और पूर्वांचल में ऋण उपलब्धता बढ़ाने तथा ग्रामीण उद्यमों के विस्तार पर विशेष ध्यान

लखनऊ : 02 नवम्बर, 2026

उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने तथा कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्त विभाग द्वारा नाबार्ड के सहयोग से विधान भवन स्थित पारिजात सभागार में राज्य ग्रामीण विकास सम्मेलन–2026 आयोजित किया गया। सम्मेलन में 'विकसित उत्तर प्रदेश 2047' के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ऋण की पहुंच बढ़ाने और सभी 75 जिलों के लिए मापनीय एवं समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया।

सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि अगले एक से दो वर्षों में जिला स्तरीय ऋण योजनाओं को ठोस कार्ययोजना में परिवर्तित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इसके लिए जनपद एवं विकासखंड स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करने, बैंकिंग संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति और जिला परामर्शदात्री समिति के माध्यम से नियमित निगरानी पर बल दिया गया। सम्मेलन की संस्तुतियों को नाबार्ड के राज्य फोकस पेपर 2027–28 के निर्माण में भी शामिल किया जाएगा।

कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में मियादी ऋण और ग्रामीण अवसंरचना के विस्तार के साथ कृषि उत्पादों के स्थानीय प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। 'एक जिला, एक मूल्य शृंखला' की अवधारणा को बढ़ावा देने तथा डिजिटल माध्यमों से छोटे

एवं पट्टेदार किसानों की संस्थागत ऋण तक पहुंच सुगम बनाने की आवश्यकता रेखांकित की गई। किसान उत्पादक संगठनों को बैंक वित्तपोषण से जोड़कर सामूहिक उद्यमिता विकसित करने पर भी चर्चा हुई।

महिला एवं युवा उद्यमिता के क्षेत्र में केवल ऋण स्वीकृति के बजाय उद्यमों की स्थापना, उनके स्थायी संचालन, रोजगार सृजन और आय वृद्धि को प्राथमिकता देने पर सहमति बनी। पशुपालन क्षेत्र में नाबार्ड की डेयरी विकास योजना को राज्य पशुधन मिशन में शामिल किए जाने की जानकारी दी गई। साथ ही प्रदेश के लिए तैयार मत्स्य विकास योजना भी प्रस्तुत की गई।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में कार्यशील पूंजी के साथ पूंजी निर्माण के लिए मियादी ऋण बढ़ाने, सूक्ष्म उद्यमों को लघु एवं मध्यम उद्यमों के रूप में विकसित करने तथा क्लस्टर आधारित वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) एवं जीआई उत्पादों के व्यावसायीकरण के साथ कृषि उत्पादों के स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण हेतु 'खेत को कारखाने के रूप में विकसित करने' की अवधारणा पर भी विचार किया गया।

सम्मेलन में विशेष रूप से बुंदेलखंड एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऋण उपलब्धता की क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने, ग्रामीण उद्यमियों को व्यवसाय विस्तार के लिए पुनः ऋण उपलब्ध कराने तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक ऋण योजनाओं की पृथक निगरानी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता रेखांकित की गई।

सम्मेलन का समापन विभागीय समन्वय, संस्थागत जवाबदेही और जिला स्तर पर परिणामपरक कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के आह्वान के साथ हुआ। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह का विस्तार कर कृषि आधारित उद्योगों, स्वरोजगार और समावेशी आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है।

सम्पर्क सूत्र– जयेन्द्र सिंह

राघवेन्द्र / 02:40 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0: 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in